अपील संख्या 2005/00084 (157/2007) 223 आरटीएक्ट

दर्शनसिंह पुत्र श्री ईसर सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन मारजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगए। –अपीलाण्ट

बनाम

1. रूस
2. पप्पासिंह
3. जगसिंह
4. गेजासिंह

पि0 बाजसिंह जाति कुम्हार सिख साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

5. सुखपाल कौर
6. अमरजीत कौर
7. परमजीत कौर

पुत्रियां बाज सिंह

8. लीला सिंह
9. गोविन्द सिंह

पि0 संतासिंह जाति कुम्हार सिख साकिन मारजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

10. बलदेव सिंह
11. सुखदेव सिंह

पि0 जग सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन मोरजण्ड सिखन तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

12. जगदीश सिंह
13. रणजीत सिंह
14. सुखजीत सिंह
15. हरमन्दर सिंह

पि0 हजूरसिंह पुत्र कहरसिंह जाति कुम्हार सिख साकिन मोरजण्ड सिखान तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

16. अंग्रेज कौर पत्नी जगदप सिंह
17. हरचरण सिंह पुत्र जगदीप सिंह

जाति कुम्हार सिख साकिन मोरजण्डसिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

18. गुड्डी कौर जोजा राजेन्द्र सिंह पुत्री जगदीपसिंह निवासी हाकू वाला तहसील मुक्तसर जिला मुक्तसर (पंजाब)
19. जसवीर कौर पत्नी साधुसिंह पुत्री जगदीप सिंह निवासी सकता खेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
20. लक्ष्मी कौर पत्नी बूटा सिंह पुत्री जगदीप सिंह निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
21. पाली कौर पत्नी सुखदेव सिह पुत्री जगदीपसिंह जाति कुम्हार सिंख सा0 चक 49 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर
22. हरनेल सिंह पुत्र अतर सिंह जाति कुम्हारसिख सा0 मोरजण्ड सिखान तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।
23. अंग्रेज कौर
24. मलकीत कौर
25. गुरदेव कौर

पुत्रियॉ आसकौर बेवा कर्म सिह साकिन मोंरजण्ड़ सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

26. अंग्रेज कौर बेवा जगजीत सिह } जाति कुमार सिख साकिन मोरजण्ड सिखान
27. हरचरण सिंह पुत्र जगजीत सिह } तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
28. सरजीत सिंह
29. हरमन्द्र सिह } पि0 हजूर सिह जाति कुम्हार सिख सा0 मोरजण्ड सिखान
30. रणजीत सिंह } तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
31. भारतीय स्टेट बैंक सादुल शहर जिला श्री गंगानगर।
32. पंजाब नेशनल बैंक संगरिया जिला हनुमानगढ।
33. तहसीलदार राजस्व संगरिया
34. चरणजीत कौर पुत्री सरजीत कौर पत्नी बलवीर सिह } जाति कुम्हारसिख साकिन
35. बख्तावर सिह पुत्र सरजीत कौर पत्नी बलवीर सिह } चन्नू तहसील मलोट जिला
36. गुलजातर सिह पुत्र सरजीत कौर पत्नी बलवीर सिह } मुक्तसर (पंजाब)

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 08.12.2005 सहायक कलक्टर, हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 48 / 2002 बअनवानी दर्शनसिंह बनाम रूस आदि

श्री प्रद्युमन परमार अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री महेन्द्रसिह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 33

निर्णय दिनांक— 03.06.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अपीलाण्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में खाता तकसीम का एक वाद प्रस्तुत किया। वादपत्र में चक 10 एमजेडी की प्रश्नत भूमि की हिस्से अनुसार खाता विभाजन करने व हक व हिस्सा की भूमि का कब्जा दिलाने तथा वादी का खाता अलग कायम करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 8 एवं 9 ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद एवं काउण्टर क्लेम खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलांण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादक संख्या 1 को साबित करने का भार अपीलांट पर था अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस विवादक को साबित न मानकर भारी भूल की है। प्रश्नगत भूमि वादी के नाम 0.041 हिस्सा तथा वादी के ताउ के नाम 720 हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी वसीयत प्रस्तुत नहीं की है। यदि चन्द सिंह कोई वसीयत करता तो वसीयत न्यायालय में अवश्य प्रस्तुत होती। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल नामांतरण दर्ज होना मानते हुए निर्णय पारित किया है। नामान्तकरण कोई हक प्रदान नहीं करता है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

न्यायालय ने केवल मात्र इन्तकाल को आधार माना है वादी द्वारा प्रस्तुत जबाबुल जवाब में वसीयत से संबंधित कोई आक्षेप नहीं लिए गये हैं। विचारण न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्तों की ओर कोई गौर नहीं किया है। केवल मात्र कयास के आधार पर वसीयत की वैधता को मान लिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एंवं डिक्री निरस्त की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा काउण्टर क्लेम के संबंध में पारित निर्णय विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विधि का सही विवेचन न किये जाने के कारा काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायलाय ने तनकी नं 1, 3, 4 हम रेस्पोडेण्टान के हक में निर्णय की है। तनकी नं. 2 रेस्पोडेण्टान के खिलाफ पारित की है जो कतई गलत है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का अपीलाण्ट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा सांझा खाता होना एवं विवादति कृषि भूमि पर संयुक्त कब्जा होना और खातेदार काश्तकार होना स्वीकार किया है। रेस्पोडेण्टान द्वारा अपनी तनकी नं0 2 को सिद्ध करने के लिए रेस्पोडेण्ट लीला सिंह का शपथपत्र साक्ष्य प्रतिवादी पेश किया है। रेस्पोडेण्ट अपने काउण्टर क्लेम की दफा 8 के अनुसार अपना खाता अलग कायम करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी दावेदार हैं इस तनकी को रेस्पोडेण्ट ने पूर्ण रूप से साबित किया है। रेस्पोडेण्टान का काउण्टर क्लेम के संबंध में पारित निर्णय को मन्सूख किया जाकर काउण्टर क्लेम रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 डिक्री किया जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद पेश हुआ था। जिसमें वादी ने संयुक्त परिवार की भूमि में अपना हक व हिस्सा बताते हुए विभाजन का अनुतोष चाहा है, उन्होंने चन्दसिंह की भूमि में अपना हक वाद के अनुसार बताते हुए खाता तकसीम का अनुतोष चाहा। उनके अनुसार ताउ चन्दसिंह लाऔलाद फौत होना अंकित किया और वादी का हिस्सा चन्दसिंह की भूमि के 1/2 हिस्सा के आधार पे अनुतोष चाहा। प्रतिवादीगण की ओर से जो जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ है, उसमें प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम में चंद सिंह की बेचान के बाद शेष बची भूमि को उनके पक्ष में वसीयत करने का हवाला देते हुए प्रतिवादीगण 1 ता 4, 8, 9 ने अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय में वाद को साबित नहीं माना है। प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम को भी साबित नहीं माना हैं और अपने निर्णय द्वारा वादी का वाद एवं काउण्टर क्लेम दोनों को निरस्त कर दिया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई और प्रतिवादीगण की ओर से काउण्टर क्लेम पेश किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई कि जिस वसीयत का हवाला देते हुए चंदसिंह की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है वह वसीयत साक्ष्य के रूप में पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई है। बिना किसी दस्तावेज के चंदसिंह की जमीन प्रतिवादीगण के पक्ष में अंकन को सही मान लिया। यदि कोई वसीयत हुई हैं और उसके आधार

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Web Copy Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

पे कोई हक चाहता है अथवा उसके आधार पर अंकित हिस्से को कायम रखना चाहता है तो उसको स्पष्ट साक्ष्यों/दस्तावेज के आधार पे साबित करना अपेक्षित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तथ्य नहीं देखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया साथ प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया जिससे स्पष्ट है कि साक्ष्यों का परीक्षण कर उचित रूप से नहीं किया गया है। अतः इस प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि दोनों पक्षों के साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पुनः सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2005 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए एवं सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.08.2019 को पेश हों। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

03/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़